कार्यालय, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय
नगरपारा, भागलपुर – 853203 (बिहार)

डॉ0 दीपक कुमार (बि0 शि0 से0)
प्र0 प्राचार्य

:- ptecnagarpara17@gmail.com
:- www.ptecnagarpara.org.in

पत्रांक 620/ नगरपारा, दिनांक 16/7/25

कोटेशन (दर उद्धरण) आमंत्रण सूचना सं0 05 वर्ष 2025–26

निदेशक, SCERT पटना के पत्रांक 1598 दिनांक 03.05.2025 के निदेशानुसार सभी प्रशिक्षण संस्थान में अनुसंधान प्रकोष्ठ (Resarch cell) बनाने तथा पुस्तकालय को पूर्णतः क्रियाशील (Functional) बनाने का निदेश प्राप्त हुआ है। प्राप्त निदेश के आलोक में अनुसंधान प्रकोष्ठ (Resarch cell) बनाने तथा पुस्तकालय को पूर्णतः क्रियाशील (Functional) बनाने के क्रम में आवश्यकतानुसार CCTV कैमरा अधिष्ठापन की आवश्यकता है। प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय नगरपारा, भागलपुर में CCTV कैमरा अधिष्ठापन हेतु संबंधित कार्य में अनुभव रखने वाले इच्छुक स्थानीय भेण्डर द्वारा प्रति CCTV कैमरा का दर GST के साथ कोटेशन सीलबंद लिफाफे में प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, नगरपारा, भागलपुर पिन नं0 853203 के पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/E-mail- ptecnagarpara17@gmail.com अथवा हाथों–हाथ कार्यालय अवधि में आमंत्रित की जाती है।

CCTV कैमरा अधिष्ठापन हेतु निम्न **Features** वांछित है :–

sl no.	Features	Product Specification
1	**Camera**	**5 MP**
2	Rauter	Dual band tp link rauter
3	Relibility	Weather proof high Relibility
4	View	Ultra HD view
5	POE	48 Volt poe
6	Visual	Colour VU all time
7	NVR	Onvif supported with all NVR
8	Cable	CAT 6

कोटेशन संबंधित दिशा–निर्देश निम्नवत है :–

01. कोटेशन प्रति CCTV कैमरा अधिष्ठापन की दर से GST के साथ देना अनिवार्य है।
02. कोटेशन सील बंद लिफाफे में दिनांक 21.07.2025 संध्या 03:00 बजे तक प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय नगरपारा, भागलपुर–853203 के पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट अथवा हाथों–हाथ कार्यालय में जमा कराया जा सकता है।
03. कोटेशन दाता को GST NO./PAN NO. तथा आधार नं0 संलग्न करना आवश्यक है।
04. निर्धारित तिथि तक सीलबंद लिफाफे में प्राप्त कोटेशन दिनांक 21.07.2025 को संध्या 05:00 बजे प्राचार्य कक्ष में गठित क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोला जाएगा। सबसे कम दर वाले कोटेशन दाता द्वारा समर्पित आवश्यक दस्तावेजों के जाँचोपरान्त क्रयादेश निर्गत किया जाएगा। उपरोक्त अवधि एवं समय में कोटेशनदाता स्वंय अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।
05. स्थानीय भेण्डर/आपूर्त्तिकर्त्ता को उक्त दर उद्धरण में प्राथमिकता दी जायेगी।
06. क्रयादेश निर्गत–तिथि से दो दिनों के अवधि में CCTV कैमरा का अधिष्ठापन भेण्डर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में अद्योहस्ताक्षरी उचित निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगें।
07. अधिष्ठापित किये गये CCTV कैमरा की गुणवत्ता कोटेशन में अंकित मानक के अनुरूप नहीं होने पर वापस कर दी जायेगी।
08. यदि न्यूनतम दर वाले कोटेशन दाता/आपूर्त्तिकर्त्ता को क्रयादेश किसी कारणवश नहीं दिया जाता है तो उसके बाद कम दर वाले आपूर्त्तिकर्त्ता का चयन कर क्रयादेश दिया जायेगा। विस्तृत सूचना संस्थान से कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है, अथवा महाविद्यालय के बेवसाईट https://www.ptecnagarpara.org.in/ का अवलोकन किया सकता है। कोटेशन को बिना कोई कारण बताये रद्द करने/संशोधित करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

Rajesh Kumar 16/07/25
वरीय व्याख्याता
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय
नगरपारा, भागलपुर

16/7/25
प्रभारी प्राचार्य
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय
नगरपारा, भागलपुर

Scanned with OKEN Scanner